<u>न्यायालय- सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

आप.प्रक.कमाक—241 / 2003 संस्थित दिनांक—12.07.1999 फाईलिंग क.234503000151999

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा, आरक्षी केन्द्र—बैहर जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — — — — — — — — — — **अभियोजन** // **विरूद** //

सुनील कुमार पिता ईशुलाल गढ़ेवाल, उम्र—45 वर्ष, निवासी—आबकारीटोला बैहर, थाना बैहर, जिला बालाघाट(म.प्र.)

<u>(आज दिनांक-09/09/2015 को घोषित)</u>

- 1— आरोपी के विरूद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा—51 एवं सहपित धारा—9, 39(3), 49 ख के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक—19.04.1999 को करीब 17:30 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत आबकारीटोला में अपने मकान में बिना अनुज्ञा पत्र के वन्य प्राणी बाघ का कंकाल तथा चीतल की खाल अवैध रूप से रखे पाया गया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—19.04.1999 को सी.एस.पी. वैष्णव शर्मा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आबकारीटोला का आरोपी सुनील गढ़ेवाल अपने मकान में अवैध रूप से बाघ का कंकाल रखा है और उसे बेचने का प्रयास कर रहा है। उक्त सूचना पर हमराह गवाह व स्टॉफ के साथ जाकर रेड किया तो आरोपी सुनील के कब्जे से एक बाघ का कंकाल मय कपाल के एवं एक चीतल की खाल गवाहों के समक्ष जप्त कर देहाती नालसी 0/99 पर कायम किया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस थाना बैहर द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक—70/1999, धारा—9, 39(3), 49 ख 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा अनुसंधान के

दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लिये गये एवं जप्तशुदा बाघ का कंकाल व चीतल के चमड़े का परीक्षण कराया गया तथा वन्य जीव संस्थान देहरादून को जप्तशुदा संपत्ति का परीक्षण हेतु भेजा गया। पुलिस द्वारा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा—51 एवं सहपित धारा—9, 39(3), 49 ख के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा 313 द.प्र.स के प्रावधान अंतर्गत अभियुक्त कथन में अपराध अस्वीकार कर स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त कर प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक—19.04.1999 को करीब 17:30 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत आबकारीटोला में अपने मकान में बिना अनुज्ञा पत्र के वन्य प्राणी बाघ का कंकाल तथा चीतल की खाल अवैध रूप से रखा पाया गया ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— वैष्णव शर्मा (अ.सा.३) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—19.04.1999 को जिला बालाघाट में उप पुलिस अधीक्षक बालाघाट के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बैहर के आबकारी टोला में रहने वाला सुनील कुमार बराडे जंगली जानवरों की हत्या कर अवैध रूप से व्यवसाय करता है तथा अपने पास खाल और जंगली जानवर की हड्डी रखा है। उक्त सूचना पर वह हमराह आरक्षक परनिसंह कमांक—68, आरक्षक अरूण कमांक—568 के साथ मौके पर पहुंचकर आरोपी सुनील कुमार बराडे के मकान में रेड किया था। मकान के एक कमरे में एक बोरी में बांधकर रखे एक बाघ का कंकाल तथा एक चीतल की खाल मिली थी, जिसे जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—1 के अनुसार साक्षी मोहम्मद जाहिद एवं विक्रम सिंह के समक्ष आरोपी से जप्त किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस सूचना के आधार पर थाना बैहर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक आर.पी. अवस्थी के द्वारा प्रथम

सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-70/99, धरा-9 39 (3), 49 ख, 51 वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के तहत लेख किया गया था, जो प्रदर्श पी-5 है, जिस पर श्री अवस्थी के हस्ताक्षर हैं। आरोपी से जप्त एक बाघ का कंकाल मय कपाल के एवं एक चीतल की खाल परीक्षण हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के संचालक को प्रदर्श पी-6 के माध्यम से भेजा गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

- 6— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी—1 उसकी हस्तिलिप में तैयार नहीं किया गया है। साक्षी का स्वतः कथन है कि उसके डिक्टेशन पर अधिनस्थ कर्मचारी ने तैयार किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जप्ती के उपरान्त उसे जप्तशुदा सामान को सीलबंद किया था, किन्तु उस सामग्री को सील करने के संबंध में अलग से पंचनामा नहीं बनाया था।
- 🚵 अभियोजन के द्वारा जप्ती कार्यवाही के साक्षी मो. जाहिद (अ.सा.1) की साक्ष्य कराई गई है, जिसने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती नहीं हुई थी, किन्तु जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे शर्मा साहब ने तलाशी की कार्यवाही हेतु साथ चलने के लिए बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह आरोपी के घर पुलिस के साथ गया था और आरोपी के घर से शेर का कंकाल और चीतल की खाल मिली थी। साक्षी ने उसके समक्ष जप्ती कार्यवाही प्रदर्श पी-1 एवं आरोपी की गिरफ्तारी कार्यवाही प्रदर्श पी-2 से इंकार किया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने प्रदर्श पी-1 एवं प्रदर्श पी-2 पर पुलिस के कहने पर पुलिस थाना में हस्ताक्षर किये थे, तब पुलिस ने उक्त दस्तावेज को पढ़कर नहीं बताया और न ही उसने पढ़कर देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उक्त हस्ताक्षर के समय आरोपी मौजूद नहीं था। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपी की पहचान नहीं की है और न ही पुलिस द्वारा की गई किसी कार्यवाही का समर्थन किया है।
- 8— प्रधान आरक्षक करनसिंह (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक—19.04.1999 को थाना बैहर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त

दिनांक को मुखबिर की सूचना के आधार पर वह थाना बैहर के एस.डी.ओ.पी. शर्मा साहब के साथ आरोपी सुनील कुमार निवासी आबकारीटोला बैहर के घर गए थे, जहां आरोपी के घर की तलाशी लिये जाने पर कमरे से एक बोरी में बंधा हुआ एक बाघ का कंकाल तथा एक चीतल की खाल प्राप्त हुई थी। वह आरोपी सुनील कुमार के विरूद्ध दर्ज देहाती प्रथम सूचनापत्र प्रदर्श पी—4 असल नम्बरी हेतु थाना बैहर लेकर गया था। एस.डी.ओ.पी. शर्मा के द्वारा आरोपी सुनील कुमार से उक्त सामान को जप्त किया गया था। आरोपी के पास उक्त बाघ का कंकाल तथा चीतल की खाल रखने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। इस साक्षी ने प्रकरण में उसके वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही उपरान्त मामलें में प्राथमिकी दर्ज किये जाने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है। इस साक्षी के द्वारा कोई महत्वपूर्ण व तात्विक कार्यवाही न करने और उसके सामने कोई कार्यवाही न होने से साक्षी के कथन का अधिक महत्व नहीं रह जाता है।

9— बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि प्रकरण में पुलिस अधिकारी के द्वारा कथित मुखबिर सूचना के आधार पर कार्यवाही किया जाना प्रकट किया है, किन्तु उक्त सूचना के आधार पर कोई रोजनामचा सान्हा तैयार किया जाना अनुसंधानकर्ता अधिकारी वैष्णव शर्मा (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में नहीं बताया है। उक्त साक्षी के द्वारा की गई जप्ती कार्यवाही का भी जप्ती के साक्षी के रूप में प्रस्तुत मो. जाहिद (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया है। अभियोजन की ओर से जप्ती के अन्य साक्षी को फौत होने के कारण न्यायालय में पेश नहीं किया जा सका है। इस प्रकार जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही का किसी भी स्वतंत्र साक्षी से समर्थन प्राप्त नहीं होता है। जप्ती अधिकारी ने कार्यवाही के पूर्व रोजनामचा सान्हा की प्रति पेश नहीं किया और न ही रोजनामचा सान्हा दर्ज किये जाने के संबंध में किसी साक्षी ने बताया है। इस प्रकार जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही में संदेहास्पद परिस्थितियां प्रकट होती है, जिन्हें अभियोजन की ओर से दूर नहीं किया गया है।

10— अभियोजन को स्वयं अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है जबिक बचाव पक्ष को अभियोजन मामले में संदेह उत्पन्न करना होता है। मामले में प्रस्तुत साक्ष्य से जो संदेहास्पद एवं विसंगति पूर्ण तथ्य उत्पन्न हुये है, उन्हें अभियोजन ने अपनी साक्ष्य में दूर नहीं किया है। मौके पर जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षीगण का उपस्थित न होना, उक्त कार्यवाही में विसंगति पूर्ण एवं विरोधाभासी तथ्य प्रकट

होता है, जिसका लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार पुलिस अधिकारी की उक्त विसंगति एवं विरोधाभासी कार्यवाही के आधार पर विधिवत् जप्ती प्रमाणित नहीं है। इसके अलावा अभियोजन ने कथित जप्तशुदा बाघ का कंकाल एवं चीतल की खाल की परीक्षण रिपोर्ट भी प्रकरण में प्रमाणित नहीं किया है तथा किसी साक्षी ने भी विशेषज्ञ के रूप में कथित सामग्री की पहचान नहीं की है। इस प्रकार मामलें में न तो आरोपी से जप्ती की कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित है और न ही कथित जप्तशुदा सामग्री किसी वन्य प्राणी के अवशेष या किसी वन्य प्राणी की खाल होना प्रमाणित है।

उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विश्लेषण उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि 11-अभियोजन ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान अपने मकान में बिना अनुज्ञा पत्र के वन्य प्राणी बाघ का कंकाल तथा चीतल की खाल अवैध रूप से रखे पाए गए। अतएव आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा–51 एवं सहपठित धारा–9, 39(3), 49 ख के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है। 12-

प्रकरण में आरोपी दिनांक-23.04.1999 से दिनांक-27.05.1999 तक, 13-दिनांक-20.04.2007 से दिनांक-08.05.2007 तक एवं दिनांक-25.05.2014 दिनांक-12.06.2014 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है, जिसके संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के तहत् प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

बहर, .।घाट निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट